



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा)

जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक L49/भू-अभि./2022

कांकेर, दिनांक 27/12/2022

—: संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र ::—

वन संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, जगदलपुर कार्या. कार्य अभियंता (सिविल) पारेषण संभाग द्वारा 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम जामगांव तहसील केशकाल जिला कोण्डागांव में स्थित वन भूमि कक्ष क्र. 1259 में से 3.24 हे. का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नांकित भूमि का चयन कर निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है :-

वन मण्डल	परिक्षेत्र	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	चयनित भूमि का विवरण			रोपण का प्रकार
			खसरा नं.	कुल रकबा	रोपण हेतु चयनित रकबा	
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	दुर्गूकोंदल	प.ह.नं. 04 ग्राम- घोटुलमुण्डा	92	18.27	3.24 हे.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु

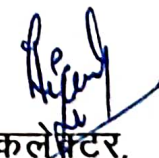
यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम घोटुलमुण्डा में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

अतः चयनित राजस्व भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2(3) अन्तर्गत व्यपवर्तन के बदले क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 27 / 12 / 2022

स्थान - कांकेर




कलेक्टर,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर